संख्याः 1050 /87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2023

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 03 अगस्त,2023

विषयः-उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति- 2022 तथा उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति - 2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं / जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 341/नेडा-एसई-सौर ऊर्जा नीति-2022/2022 दिनांक 21 अप्रैल 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत निवेशको को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त नीतियों के अन्तर्गत निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराने हेतु राजस्व विभाग के शासनादेश / नीतियों के अनुसार सरकारी भूमि पहले अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिये 1.00 रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज दर पर लीज पर प्राप्त होगी। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा इस प्रकार लीज पर प्राप्त भूमि को उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के निवर्तन पर रखा जायेगा। उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा लीज पर प्राप्त भूमि उक्त नीतियों के प्राविधानों के अनुसार परियोजनाओं की स्थापना के लिये निवेशकों को निम्नलिखित शर्तो के अधीन उपलब्ध करायी जायेगी:-

(1) सौर ऊर्जा परियोजनाओं/जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों को रू0 15000/- प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के लीज रेन्ट पर तथा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रू0 1.00 प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर लीज पर 30 वर्षो के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी ।

(2) लीज की अवधि अधिकतम 30 वर्ष होगी।

(3) यदि निवेशक केन्द्र/राज्य सरकार का कोई विभाग है या सार्वजनिक उपक्रम है तो उस दशा में लीज रेन्ट 1 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा किन्तु यदि निवेशक कोई गैर सरकारी निजी क्षेत्र का है तो उस दशा में लीज रेन्ट 15,000 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा।

(4) निवेशक के साथ यू0पी0 नेडा द्वारा लीज डीड हस्ताक्षरित की जायेगी। लीज डीड का आलेख संलग्न है।

(5) लीज डीड के निष्पादन के लिए देय स्टाम्प शुल्क या अन्य देयताओं का वहन लीज पर भूमि प्राप्त करने वाले निवेशक द्वारा किया जायेगा।

(6) लीज अहस्तान्तरणीय होगी और आगे किसी को ट्रान्सफर या सबलेट नहीं की जायेगी।

(7) लीज पर दी गई भूमि का उपयोग केवल अनुमोदित परियोजना के लिए ही किया जाएगा।

(8) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लीज पर दिये जाने के लिए प्रस्तावित की जायेगी। निवेशक द्वारा एक महीने के अन्दर अपनी फाइनेन्शियल नेटवर्थ, डीपीआर, बैकवर्ड एण्ड फारवर्डलिंकेज तथा अन्य सुसंगत विवरण यू0पी0 नेडा के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद ही उच्चस्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त लीज डीड निष्पादित की जा सकेगी।

(9) भूमि उपलब्ध कराये जाने के दो माह के अन्दर यदि मौके पर परियोजना के निर्माण/स्थापना की कार्यवाही निवेशक द्वारा आरम्भ नहीं की जाती तो उस दशा में उक्त निवेशक को लीज पर दी गयी भूमि यू0पी0 नेडा द्वारा निवेशक को एक सुनवाई का अवसर देकर उच्चस्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त वापस ले ली जायेगी।

(10) यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि निवेशक द्वारा लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उस दशा में उक्त निवेशक को लीज पर दी गयी भूमि यू0पी0 नेडा द्वारा निवेशक को एक सुनवाई का अवसर देकर उच्चस्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त वापस ले ली जायेगी।

(11) लीज की अवधि बीतने के उपरान्त या लीज निरस्त होने की दशा में तीन महीने के अन्दर निवेशक द्वारा लीज पर दी गयी भूमि से अपने सभी उपकरण/निर्माण आदि को हटाकर भूमि खाली करके उसका कब्जा यू0पी0 नेडा को वापस कर दिया जायेगा।

(12) उपरोक्त शर्तों के अलावा उच्चस्तरीय समिति के अनुमोदन से मौके की स्थिति के सन्दर्भ में केस-टू-केस के आधार पर लीज की अन्य अतिरिक्त शर्तें लगायी जा सकती है।

(13) निवेशक द्वारा वार्षिक लीज रेन्ट नियमित रूप से अग्रिम के रूप में यू0पी0 नेडा में जमा किया जायेगा।

(14) निवेशकों से प्राप्त होने वाले वार्षिक लीज रेन्ट को यू0पी0 नेडा द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा। यू0पी0 नेडा द्वारा इस हेतु सभी भूमि का अलग-अलग लेखा बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

(15) लीज एग्रीमेन्ट उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) एवं विकासकर्ता के बीच निष्पादित किया जाएगा ।

(16) जिलाधिकारी द्वारा राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.03.2023 के तहत बिना मालगुजारी के रूपये 1.00 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की लीज रेन्ट पर भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को दी जायेगी। यह पट्टा 30 वर्ष के लिए मान्य होगा । इसमें राजस्व विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मध्य कोई लीज एग्रीमेन्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उ0प्र0

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के अनुरोध पर यह भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के नाम पट्टे पर रख दी जायेगी।

2- निवेशकों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत उच्चस्तरीय समिति गठित की जाती है :-

1	अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0 प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि,जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न न हो	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उ0 प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि,जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न न हो	सदस्य
4	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
5	निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)	सदस्य सचिव

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः1050 (1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2023 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परियोजना अधिकारी, नेडा को निदेशक, यूपीनेडा के माध्यम से ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव ।